BCC BULLETIN
THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
Vol. XXXXIII | 18th JULY 2012 | No. 9

बिहार में निवेश करेगा थाईलैंड

• थाईलैंड के वाणिज्य महादूत ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में दी जानकारी
• बिहार में पर्यटन की संभावना को देखते हुए सेवा, कृषि, संरचना होटल आदि क्षेत्रों में करेगा निवेश

थाईलैंड के वाणिज्य महादूत प्रसित्तीवेश विचित्सोरासत्रा को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में थाईलैंड के उप–वाणिज्य महादूत सूकूम।

थाईलैंड बिहार में निवेश करना चाहता है। उसकी कई योजनाएं पश्चिम बंगाल में चल रही हैं और उसी तरह का निवेश बिहार में भी करेगा। हर साल लाखों भारतीय थाईलैंड आते हैं। भारत से म्यांमार होते हुए सड़क मार्ग जुड़ जाये तो व्यापरिक क्षेत्र में काफी विकास होगा। ऐसा प्रस्ताव भी है। ये बातें थाईलैंड के वाजिज्य महादूत प्रसित्तीदेश विचित्सोरासत्रा ने दिनांक 28 जून 2012 को बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स में व्यवसायियों को संबोधित करते हुए कहीं। बैठक का आयोजन चैम्बर ने ही किया था। वाणिज्य महादूत ने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच हजारों सालों से सांस्कृतिक व व्यावसायिक संबंध रहा है। वर्तमान में भी भारत ने थाईलैंड के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है। थाईलैंड भी भारत के कई क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। हाल ही में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग करने एवं व्यवसाय बढ़ाने को लेकर करार हुआ है।

थाईलैंड चाहता है कि वह बिहार में भी निवेश करे। वह सेवा, कृषि, संरचना, होटल आदि क्षेत्रों में निवेश करेगा। लाखों थाईलैंडवासी हर साल बिहार आते हैं। यह देखते हुए बिहार के पर्यटन क्षेत्र में निवेश किया जायगा। भारत के लोग भी थाईलैंड में निवेश करें। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आठ हजार बिलियन का व्यापार हर साल होता रहा है। इस बार का लक्ष्य 16 हजार बिलियन का रखा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है और उनके देश के राजपरिवार सहित हजारों थाईवासी हर साल भारत आते हैं। उनका तीर्थस्थल गया के अलावा कुशीनगर व बनारस भी है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में काफी प्राकृतिक संपदा है। यहां निवेश करने से काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि थाईलैंड में रामायण व महाभारत काफी प्रचलित है और यहां के संस्कृत एवं पाली भाषा के कई शब्द उनकी भाषा ने अपनाये हैं। कड़ी व नृत्य की कई भंगिमाएं भी भारत से ली गयी हैं। खान-पान के अलावा पहनावा में भी काफी समानता है।

थाईलैंड में उप वाणिज्य महादूत सूकूम ने अपने देश के व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया और बिहार के व्यवसायियों से थाईलैंड में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड में उनके लिए बहुत बड़ा बाजार है जहां निवेश कर काफी लाभ कमाया जा सकता है।

चैम्बर के अध्यक्ष ओ० पी० साह ने कहा कि बिहार के पर्यटन क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनाएं हैं क्योंकि यहां कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं एवं कई धर्मों का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में कई नदियां होने की वजह से यहां जलक्रीड़ा के क्षेत्र में निवेश की भी काफी संभावनाएं हैं। थाईलैंड के लोग बिहार में निवेश करें और दोनों क्षेत्रों के बीच व्यावसायिक संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने में सहयोग करने के लिए थाईलैंड को धन्यवाद दिया।

बैठक में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष गणेश कुमार खेत्रीवाल, नन्हें कुमार, महामंत्री संजय कुमार खेमका, कोषाध्यक्ष, सुबोध कुमार जैन व पूर्व अध्यक्ष युगेश्वर पाण्डेय एवं पी० के० अग्रवाल भी मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री संजय कुमार खेमका ने किया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा 29.06.2012)

वाणिज्य कर वापसी की व्यवस्था दो वर्षों के लिए लागू रहेगी

राज्य सरकार ने व्यापारियों को वाणिज्य कर वापसी की व्यवस्था दो वर्षों के लिए लागू रखने का निर्णय लिया है। बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाणिज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरिफॉरवर्ड की व्यवस्था को अधिकतम दो वर्षों के लिये जारी रखने का निर्देश दिया है। राज्य के जिन व्यापारियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरिफॉरवर्ड का दावा एक लाख रूपये से अधिक होगा, उसकी स्क्रूटनी सक्षम अधिकारी से बिहार वैट एक्ट की धारा 25 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। टैक्स की चोरी रोकने के लिए डीएम एवं एसपी सप्ताह में एक दिन चेकपोस्ट का निरीक्षण करेंगे।

ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित विमर्श कक्ष में वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा बैठक में कही। इस अवसर पर विभाग द्वारा प्रस्तुत एक पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन का गहराई से अध्ययन भी किया। उन्होंने कहा कि चेकपोस्ट को सुदृढ़ करने के लिये सभी आवश्यक आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जायेगा। टैक्स की चोरी को रोकने के लिये चेकपोस्टों पर ज्यादा अधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे, पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी, संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जायेगा कि वे बार-बार तथा कम से कम सप्ताह में एक बार चेकपोस्ट का गहन निरीक्षण करें और टैक्स वसूली कार्यों में लगे प्रतिनियुक्त कर्मियों को सहयोग करें।

बैठक के बाद प्रधान सचिव वाणिज्यकर सुधीर कुमार ने बताया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री को एक अभ्यावेदन देते हुए उनसे अनुरोध किया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरिफॉरवर्ड की पुरानी व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 के बजट में समाप्त कर दी गयी है, को पुन: स्थापित किया जाय। उन्होंने यह माँग इस आधार पर की थी कि वाणिज्यकर विभाग से रिफंड लेने में महीनों लग जाते हैं और उनकी पूंजी अनावश्यक रूप से फंसी रहती है। उन्हें विभाग से रिफंड लेने के लिये बार-बार चक्कर लगाना पड़ेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांगों पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ लगभग दो घंटे तक विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरिफॉरवर्ड की व्यवस्था को अधिकतम दो वर्षों के लिये जारी रखा गया है। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव नवीन कुमार, विकास आयुक्त एके सिन्हा, प्रधान सचिव वाणिज्यकर विभाग सुधीर कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 6.7.2012)

Bihar to Revive Input Tax Credit Carry Forward System

SUPPORTING BUSINESSMEN

- ***Bihar Chamber of Commerce submitted a memorandum to Chief Minster Nitish Kumar urging him to re-introduce such an arrangement.***
- ***The state government has agreed to adopt the arrangement but only for two years.***
- ***The state government has also decided that a competent official will be put on the job scrutinise the papers of those businessmen coming forward with carry forward claims of more than Rs 1 lakh.***

In what could be a big relief for the business community, the Bihar government has decided to restore the earlier practice of Input Tax credit Carry Forward system, a demand which the Bihar Chamber of Commerce had been pressing for since its abolition in the current budget.

In fact, the Chamber even submitted a memorandum to Chief Minister Nitish Kumar urging him to re-introduce such an arrangement which it claimed would some of the irritants faced by businessmen.

"It would be easier to procure refund now from the commercial taxes department. Otherwise, it would take months to seek the refund leading to unnecessary deployment of our money with the department" the Chamber president O. P. Sah told ET.

After sympathetically considering the pleas of the Chamber of Commerce, the state government has now agreed to adopt the arrangement of Tax Credit carry forward system but only for two years.

The state government has also decided that a competent official will be put on the job to scrutinize the papers of those businessmen coming forward with carry forward claims of more than Rs. 1 lakh.

According to Sah, the facility of carry forward of the Input Tax Credit at the end of the financial year to the next financial year had been withdrawn and in lieu of that the provision of refund to the concerned dealers had been made which usually would take several months, even more than one year.

Such a gazette notification was purely against the spirit of VAT and as such the existing system of adjusting the input tax credit being provided to the entrepreneurs and traders, after they made their full deposit of VAT in the government exchequer, in the end of financial year to the next financial year had been stopped and in place of that a provision of refund to the concerned dealers, had been introduced Sah maintained.

He said such an illogical provision does not exist in the VAT Act of most of the States of the country.

The Chamber President also hailed the decision of the Commercial Taxes Department for making mandatory scrutiny of the claims of input tax credit carry forward above Rs. 1 lakh.

(Source : The Economic Times 9.7.2012)

सुविधा के नाम पर व्यवसायियों को न करें परेशान- चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा संभावित कर अपवंचना को रोकने तथा व्यवसायियों की परेशानी कम करने हेतु प्रस्तावित ''सुविधा'' व्यवस्था के नाम पर वाणिज्य-कर विभाग द्वारा व्यवसायियों एवं उद्यमियों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने की घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ.पी. साह ने बताया कि जहाँ एक ओर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स विभाग द्वारा व्यवसायियों की सहूलियत के लिए वाणिज्य-कर विभाग द्वारा ''सुविधा'' के अन्तर्गत प्रपत्रों के प्राप्त करने एवं सभावित कर अपवंचना से राज्य के कर संग्रहण में बढ़ोत्तरी के प्रयासों का स्वागत करता है वहीं व्यवसायियों को वर्तमान में प्रपत्र D-IX के साथ आनेवाले वाहनों को चेक पोस्ट पर रोक उन्हें परेशान करने एवं रोष एवं क्षोभ व्यक्त करता है।

उन्होंने कहा कि जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी तक ''सुविधा'' व्यवस्था को वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है और यह व्यवस्था विभाग द्वारा मंत्रीपरिषद् की अनुमति के लिए अग्रसारित है। मंत्रीपरिषद की अनुमति मिलने के पश्चात अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही यह व्यवस्था वैधानिक रूप लेगा। वर्तमान नियमानुसार व्यवसायी वाणिज्य-कर विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र D-IX पर दूसरे प्रदेशों से माल का आयात करते है जो कि पूर्णत: विधि सम्मत है।

चैम्बर अध्यक्ष ने इस संबंध में जानकारी दी कि हाल में जलालपुर (गोपालगंज), डोभी, मोहनिया आदि चेक पोस्ट पर सैकड़ो ट्रकों को यह कह कर रोक दिया गया कि इनमें ''सुविधा'' व्यवस्था के तहत जारी किया हुआ टोकन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि जब इस घटना की जानकारी व्यवसायियों ने संबंधित संयुक्त आयुक्त को उनके मोबाइल पर दी तो बताया गया कि विभाग के वरीय पदाधिकारी का ऐसा ही करने का आदेश है। चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने वाणिज्य-कर आयुक्त को दूरभाष पर इस घटना की पूरी जानकारी दी एवं रोष व्यक्त किया कि संबंधित अधिकारीगण विभाग द्वारा अभिप्रमाणित प्रपत्र D-IX को मान्यता देने से इनकार कर ''सुविधा'' व्यवस्था के अन्तर्गत जारी टोकन की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने सूचित किया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति ने 27 जून 2012 को संपन्न बैठक में वाणिज्य-कर विभाग के इस व्यवसायी विरोधी एवं असंवैधानिक व्यवहार पर गहरी चिन्ता एवं क्षोभ व्यक्त किया। कार्यकारिणी सदस्यों का यह मत था कि एक ऐसे समय में जबकि एक्ट में सशोधान नहीं हुआ हो, किसी प्रस्तावित प्रावधान के लिए अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव देना और साथ ही यह कहना कि इस हेतु आदेश ऊपर से पारित किए गए हैं, पूर्णत: न्याय के विरूद्ध

एवं व्यवसायियों को अनावश्यक परेशान करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है जिससे राज्य का समस्त व्यवसायी वर्ग आहत है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं सरकार के राजस्व को बुरी तरह से प्रभावित करेंगी तथा राज्य का आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। चैम्बर अध्यक्ष ने सूचित किया कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित मंत्री बिहार से मामले की निष्पक्ष जाँच का आग्रह किया है जिससे भविष्य में वाणिज्य -कर अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की दमनात्मक घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो।

चैम्बर अध्यक्ष ने वाणिज्य-कर विभाग से भी आग्रह किया कि प्रस्तावित ''सुविधा'' व्यवस्था का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराया जाए। साथ ही अधिसूचना जारी होने के पश्चात ही इसे लागू करने का आदेश निर्गत किया जाए।

ट्रांसमिशन लाइन की गड़बड़ी से सप्लाई हो रही बाधित : अध्यक्ष

राज्य में जरूरत के हिसाब से बिजली उपलब्ध है। ग्रिड तक बिजली पहुंच रही है। लेकिन इससे आगे ट्रांसमिशन लाइन की खामियों के कारण उपभोक्ताओं तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। पटना सहित राज्य के विभिन्न भाग में बिजली सप्लाई बाधित होने की यही वजह है। राज्य बिजली बोर्ड की ओर से इन खामियों को प्राथमिकता के साथ दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।

बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पीके राय ने बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के दौरान ये बातें कहीं। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुआई अध्यक्ष ओपी साह ने की जबकि इसमें संजय कुमार खेमका, संजय भरतिया व संजीव कुमार चौधरी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अध्यक्ष को बताया कि बिजली रहने के बावजूद लोगों को बिजली काफी कम मिल रही है। बिजली को क्वालिटी भी खराब रहती है।

अध्यक्ष ने इनकी बातों को गौर से सुनने के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही। साथ ही अध्यक्ष ने इनसे अनुरोध किया कि ये पूरे राज्य में स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से यह जानकारी लें कि कब-कब व कितनी देर तक बिजली सप्लाई बाधित रहती है। यह जानकारी क्षेत्रवार, तिथि व समय के हिसाब से एकत्रित करके बोर्ड को भेजा जाए।

इस दौरान चैम्बर सदस्यों ने पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र व बिहटा में स्थापित इकाइयों को लो-वोल्टेज से हो रही परेशानी की ओर भी ध्यान दिलाया। इसके अलावा एचटी उपभोक्ताओं को एमआरआई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने, चेक मीटर स्थापित करने व एचटी उपभोक्ताओं के यहां रिमोट सिस्टम से मीटर रीडिंग कराने, बिजली की चोरी पर रोक लगाने के लिए कागज या हॉलोग्राफी सीलिंग की बजाए मीटर की प्लास्टिक सीलिंग कराने व औद्योगिक प्रोत्साहनों को सभी पात्र इकाइयों को उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया। साथ ही रिजर्व बैंक के हाल के एक आदेश के आलोक में सिक्युरिटी डिपाजिट पर सूद 6 फीसदी से 9 फीसदी करने का भी अग्रह किया गया। (साभार : हिन्दुस्तान 1.7.2012)

साइनबोर्ड रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाएं, वर्ना फंसेंगे आप

क्या आपने अपने दुकान के साइनबोर्ड पर वाणिज्य कर निबंधन संख्या (टीन) अंकित कराया है?अगर नहीं तो जल्द ही अंकित करा लें। वाणिज्य कर विभाग छोटे दुकानदारों को कर के दायरे में लाने के लिए जल्द ही निरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारी सबसे पहले उसी दुकान का निरीक्षण करेंगे जिन्होंने दुकान के साइनबोर्ड पर विभाग का रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं कराया है। निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारी द्वारा अनिर्बंधित डीलरों पर पेनॉल्टी के साथ कार्रवाई तो करेगा ही, साथ ही अगर दुकानदार दुकान का रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीन अंकित नहीं कराया है तो विभाग के अधिकारी उस दुकान का निरीक्षण के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस बारे में पटना प्रमंडल के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) दिगम्बर प्रसाद तिवारी ने अंचल प्रभारियों को निर्देश दिया है कि छोटे व्यापारियों को कर के दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान शुरू करें।

श्री तिवारी ने बताया कि वैट नियमावली में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि व्यापारियों को कैशमेमो में फर्म का नाम, टीन (निबंधन संख्या), वैट दर, टैक्स इंवाइस व रिटेल इंवाइस अंकित करना अनिवार्य है। इधर कुछ वर्षों से सरकार ने साइन बोर्ड पर भी निबंधन संख्या लिखना अनिवार्य कर दिया है ताकि लोगों को बाहर से ही पता चल जाए कि यह प्रतिष्ठान वाणिज्य कर विभाग से निर्बंधित है या नहीं। अगर दुकानदार ने बीएसटी एवं सीएसटी दोनों नम्बर ले रखा है तो साइनबोर्ड पर दोनों नम्बर अंकित कराना अनिवार्य है। (साभार : हिन्दुस्तान, 24.06.2012)

उर्वरक की नई माल भाड़ा नीति को मंजूरी

सरकार ने नियंत्रण मुक्त फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के वितरण पर माल-भाड़ा खर्च का वापस भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फॉस्फेट एवं पोटाश युक्त उर्वरकों को 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के तहत लाया गया था। जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, 'आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उर्वरक विभाग की एनबीएस नीति (नई सब्सिडी नीति) के तहत 1 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच फॉस्फेट एवं पोटाश युक्त उर्वरकों के वितरण पर माल-भाड़े के पुनर्भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।' माल भाड़ा नीति सिंगल सुपर फॉस्फेट को छोड़कर फॉस्फेट एवं पोटाश युक्त सभी उर्वरकों पर लागू होगी। इससे देश के दूर-दराज के इलाकों समेत हर हिस्से में उर्वरक को आसानी से ले जाया जा सकेगा। विज्ञाति में कहा गया कि इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि हर क्षेत्र में फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वर बराबर कीमत पर मिले। देश के हर किसान को फायदा होगा। विज्ञाप्ति के मुताबिक 1 अप्रैल 2010 से 12 दिसम्बर 2010 के बीच एनबीएस नीति के मुताबिक माल भाड़ा पुनर्भुगतान किया गया। (साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 5.7.2012)

विजय माल्या की बीयर फैक्ट्री को हरी झंडी

उद्योगपति विजय माल्या की कम्पनी यूबी ग्रुप को नौबतपुर में बीयर फैक्ट्री लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अदालत ने इसके खिलाफ किसानों की ओर से दायर रिट और पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाशचन्द्र शर्मा एवं विकास जैन की खंडपीठ ने की।

राज्य सरकार ने 2008 में 98 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था। बाद में इस जमीन को सरकार ने बियाड़ा को दे दिया। बियाडा ने 42 एकड़ जमीन यूबी ग्रुप को बीयर फैक्ट्र लगाने के लिए दे दी। इसके खिलाफ किसानों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सरकार ने सुगर फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण किया था। लेकिन उस पर बीयर फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। अदालत न 21 मार्च को इस मामले को निष्पादित करते हुए कहा था कि सभी पक्षों की सहमति के मद्देनजर यूबी ग्रुप करार के मुताबिक फैक्ट्री का निर्माण कर सकता है। इस मामले में किसानों ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा कि कंपनी ने जो करार किया था वह नियमानुसार नहीं था और उन लोगों ने कोई सहमति नहीं दी थी। जबकि अपर महाधिवक्ता ललित किशोर का कहना था कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन कर जमीन अधिग्रहण किया था। (साभार : हिन्दुस्तान 7.7.2012)

अनावंटित कोटे से भी मिले 15 फीसदी बिजली

बाढ़ में बढ़ी हिस्सेदारी पर नीतीश ने जताया शिन्दे के प्रति आभार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ बिजलीघर के अनावंटित कोटे में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिन्दे को पत्र लिखा। इसमें मुख्यमंत्री ने बिहार की बाढ़ बिजलीघर की पहली यूनिट में 523 मेगावाट जबकि दूसरी यूनिट में 660 मेगावाट को हिस्सेदारी देने के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि बिजली के फ्रंट पर बिहार की श्री शिन्दे का भविष्य में भी सहयोग मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को याद दिलाया है कि उन्होंने अपनी बिहार यात्रा के दौरान राज्य सरकार के अनुरोध पर बाढ़ फेज-2 में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी पर तत्काल सहमति जता दी थी।

श्री कुमार ने उल्लेख किया है बाढ़ फेज-2 से तो भले ही आधी हिस्सेदारी मिल गई है, लेकिन बाढ़ फेज-1 में अभी भी बिहार को कुल उत्पादन का मात्र 26.42 प्रतिशत बिजली मिलेगी। लिहाजा राज्य में बिजली की खराब हालत को देखते हुए एक निर्धारित अवधि के लिए अनावंटित कोटे से भी 15 प्रतिशत बिजली बिहार को आवंटित की जाए। (साभार : हिन्दुस्तान 6.7.2012)

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
अधिसूचना (5 जुलाई 2012)

अधिसूचना संख्या – 5350, दिनांक- 5 जुलाई, 2012, बिहार मुल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 41 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अधीन किसी निर्बंधित व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से राज्य के बाहर से माल मंगाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्दिष्ट करते है:-

2. राज्य के बाहर से माल का आयात : (1) इस हेतु आयातक व्यवसायी को विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर उनके User ID एवं Password के माध्यम से Login किया जाएगा। ऐसे व्यवसायी जो वर्त्तमान में ई सेवाओं हेतु निर्बंधित नहीं हैं उन्हें राज्य के बाहर से माल मंगवाए जाने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाईट पर ई सेवाओं हेतु पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस हेतु ऐसे व्यवसायियों को ई-सर्विसेज के अधीन "new user" को click करते हुए स्क्रीन पर खुलने वाले आवेदन को भरा जाना होगा। इस आवेदन को भरे जाने के क्रम में ऐसे व्यवसायियों को अपने Password का चयन स्वयं किया जाना होगा एवं इस Password को उन्हें सुरक्षा से संरक्षित रखा जाना होगा।

(2) इसके पश्चात् आयातक व्यवसायी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर 'सुविधा' Icon को click करते हुए अपने User ID तथा Password से Login किया जायेगा।

(3) Login के उपरांत खुलने वाले फारम को व्यवसायी द्वारा भरा जाना होगा। इन सूचनाओं के भर जाने के उपरांत Submit Button को Click किया जाना होगा एवं इसके साथ ही उक्त सूचनायें स्वत: विभागीय वेबसाईट/डाटाबेस में अपलोड हो जायेंगी।

(4) (क) सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनेरेट होगी जिस पर 16 अंकों की विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक संव्यवहार पहचान संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट व्यवसायी द्वारा लिया जायेगा एवं प्रिंट आउट नहीं लिये जाने की दशा में उक्त संख्या व्यवसायी द्वारा वाहन के चालक अथवा उनके परिवहनकर्त्ता को उपलब्ध करवाई जानी होगी।

(ख) संप्रेषण के संदर्भ में सूचना अपलोड किए जाने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा 16 अंकों की उक्त संख्या सृजित होने के उपरांत त्रुटि का पता चलने की दशा में आवेदन को अथवा सृजित की गई संख्या को, व्यवसायी द्वारा सिस्टम में उपलब्ध विकल्प के अनुसार रद्द किया जा सकेगा।

(ग) अद्यतन विवरणी दाखिल करने अथवा विवरणी के अनुसार स्वीकृत कर के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में उक्त 16 अंकों की पहचान संख्या सिस्टम द्वारा जेनेरेट नहीं की जायेगी।

(5) राज्य में प्रविष्टि के जाँच चौकी पर ट्रक में लदे सभी सम्प्रेषणों से संबंधित 16 अंकों की उक्त विशिष्ट पहचान संख्या चालक द्वारा जाँच चौकी पर नियम 41 में यथानिर्दिष्ट अनुश्रवण प्राधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा एवं इस संख्या को उक्त प्राधिकारी द्वारा सिस्टम में प्रविष्ट किया जायेगा।

(6) खंड (5) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा उक्त संख्या को कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाएगा एवं प्रविष्टि के उपरांत ट्रक में लदे उक्त सम्प्रेषण से संबंधित पूर्व में अपलोड की गई सारी सूचनाएँ अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। जाँच चौकी पर इसके सत्यापन के उपरांत ट्रक को आगे परिवहन की अनुज्ञा दी जायेगी एवं यह तथ्य भी कम्प्यूटर में प्रविष्ट होगा।

(7) किसी विभागीय अधिसूचना के आलोक में ऐसे सम्प्रेषण जिसके परिवहन हेतु इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या अपेक्षित हो के संदर्भ में ऐसी संख्या प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा खंड (6) में उल्लेखित सत्यापन के क्रम में अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना में किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 61 के साथ पठित अधिनियम की धारा 56 के अधीन कार्रवाई की जायेगी।

(8) नियम 41 में यथानिर्दिष्ट मार्गस्थ किसी अनुश्रवण प्राधिकारी द्वारा जाँच के क्रम में वाहन के चालक अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति 16 अंकों की इलेक्ट्रोनिक संव्यवहार पहचान संख्या उक्त प्राधिकारी को उपलब्ध करावाई जाएगी। मार्गस्थ जाँच के क्रम में खंड (7) एवं खंड (8) के प्रावधान, आवश्यक संशोधनों सहित, लागू होंगे।

3. वैधता– (1) कंडिका 2 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक संव्यवहार पहचान संख्या विभागीय कम्प्यूटर में प्रथम बार प्रविष्ट होने के पश्चात् निष्क्रिय हो जायेगी।

(2) कंडिका 2 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक संव्यवहार पहचान संख्या निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित दूरियों के परिवहन हेतु तालिका के अनुषांगिक स्तम्भ (3) में उल्लेखित अवधि हेतु वैध होगी–

तालिका

क्र०	संप्रेषण के उद्गम से गंतव्य तक की दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1	100 किलोमीटर से कम	120 घंटे
2	101 किलोमीटर से अधिक परंतु 500 किलोमीटर से कम	240 घंटे
3	501 किलोमीटर से अधिक परंतु 1000 किलोमीटर से कम	288 घंटे
4	1001 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम	360 घंटे
5	2001 किलोमीटर से अधिक परंतु 3000 किलोमीटर से कम	480 घंटे
6	3000 किलोमीटर से अधिक	600 घंटे

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(सुधीर कुमार)
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना

कार्यालय मुख्य आयकार आयुक्त (सं.नि.प्रा.)
केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना
सार्वजनिक सूचना

1. पटना के डाकबंगला चौराहा स्थित लोकनायक जयप्रकाश भवन के तृतीय तल में दिनांक 16.07.2012 से 31.07.2012 के बीच अपराह्न 5:00 बजे तक आयकर सेवा केन्द्र (ASK) में आयकर विवरणियाँ प्राप्त की जाएंगी।
2. पटना स्थित रेंज 1, 4, 5 तथा 6 के वैयक्तिक/हिन्दु अविभाजित कुटुंब (HUF) निर्धारिती दिनांक 25.07.2012 से 31.07.2012 तक अग्रसेन भवन, बैंक रोड, पटना में अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेंगे। इसके लिए विशेष काउंटर खोले जाएंगे। ये काउंटर पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक (भोजन अवकाश अप. 1:30 से 2:00 बजे तक) कार्य करेंगे।
3. केवल उन मामलों से संबंधित आयकर विवरणी सभी काउंटरों पर प्राप्त की जाएगी जिनकी स्थायी लेखा संख्या का क्षेत्राधिकार पटना स्थित परिक्षेत्रों के निर्धारण अधिकारियों के अधीन है।
4. आयकर विवरणी फॉर्म में वैध स्थायी लेखा एवं संपर्क मोबाइल नं. का उल्लेख करना अनिवार्य है। पटना क्षेत्राधिकार के बाहर के स्थायी लेखा संख्या से संबंधित विवरणियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस पर आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5. वैसे निर्धारिती, जिनकी स्थायी लेखा संख्या पटना क्षेत्राधिकार के बाहर का है वे अपनी आयकर विवरणी कृपया या तो क्षेत्राधिकार से संबंधित आयकर कार्यालय में दाखिल करे या ई-फाइलिंग की रीति अपनाएँ। स्थायी लेखा संख्या का सत्यापन incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर लॉगइन कर या आयकर सेवा केन्द्र स्थित कियोस्क से किया जा सकता है।
6. वैसे निर्धारिती, जिनकी कुल आय 10 लाख से अधिक है वे भी ई-फाईलिंग रीति से अपनी विवरणी दाखिल करेंगे।
7. बचत बैंक खाता से व्याज सहित 5 लाख तक की कर योग्य आय के वेतन भोगी कर्मचारी अपनी आयकर विवरणी दाखिल न करें यदि उनके नियोजक द्वारा देय कर की कटौती पहले ही कर ली गई है।
8. कर्मचारी/कर व्यवसायी आयकर सेवा केन्द्र में थोक (Bulk) विवरणियाँ दिनांक 16.07.2012 से 31.07.2012 तक दाखिल कर सकते हैं। एक समय में 5 की समूह में या उसमें अधिक विवरणियों को थोक (Bulk) विवरणियों की श्रेणी में रखा गया है।

(संजय मुखर्जी)
संयुक्त आयकर आयुक्त (मु.प्र.)
कृते: कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (सं.नि.प्रा.), पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.7.2012)

आयकर विभाग लागू करेगा सिटीजन चार्टर

तय सीमा में होगा समस्याओं का समाधान

निर्धारित समय पर आयकरदाताओं की समस्या के समाधान के लिए आयकर विभाग सिटीजन चार्टर को सख्ती से लागू करेगा। अब तय समय सीमा के अंदर ही आयकरदाताओं की समस्या का समाधान होगा। यानी सिटीजन चार्टर में जो समय सीमा तय की गई है उसी के अंतर्गत ही सारे मामले का निपटारा किया जाएगा।

आयकर विभाग के सभी अफसरों को निर्देश दिया है कि वे सभी जगह सिटीजन चार्टर को डिस्प्ले करें। साथ ही अपने चैम्बर में सिटीजन चार्टर को लगा कर रखें ताकि निर्धारित समय पर मामले का निपटारा हो सके। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य कर कानून में पारदर्शिता लाने व आयकरदाताओं को गुणवत्ता सेवा देना है। आयकरदाताओं के सभी शिकायतों का निपटरा दो माह के अंदर किया जाएगा। अगर दो माह के अंदर शिकायत का निपटारा नहीं किया गया तो वे उच्च अधिकारियों के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिसका निपटारा 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर शिकायतों का निपटारा नहीं हो सका तो आयकरदाता ओमबुस्टमेन का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

विभिन्न सेवाओं की निर्धारित अवधि

सेवा	समय सीमा
सूद के साथ रिफंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल	06 माह
सूद के साथ अन्य रिफंड	09 माह
आयकर एक्ट के 143 (1) को छोड़कर सूद के साथ रिफंड	01 माह
अपील व रिविजन आर्डर को लागू करना	01 माह
आवेदन सुधार पर निर्णय	02 माह
कर अदायगी के लिए अतिरिक्त समय की मांग संबंधित आवेदन पर निर्णय	01 माह
किस्त में कर अदायगी संबंधित आवेदन पर निर्णय	01माह
सेक्सन 10 (23 सी) के अंतर्गत स्कूल, विवि व अस्पताल को कर संबंधी छूट पर निर्णय	01 वर्ष
सेक्सन 10(23 एएए) के अंतर्गत फंड स्वीकृति के लिए आवेदन पर निर्णय	03 माह
चैरिटेबल, धार्मिक संस्थान व ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन आवेदन पर निर्णय	04 माह
मेडिकल इलाज में अस्पताल अप्रूवल आवेदन पर निर्णय	03 माह
सेक्शन 80 जी (5) (6) के अंतर्गत संस्था के ग्रांट अप्रूवल आवेदन पर निर्णय	04 माह
कर कटौती नहीं करने या कम दर पर कटौती आवेदन पर निर्णय	01माह
शिकायतों का निपटारा	02 माह
केस स्थानांतरण आवेदन पर निर्णय	02 माह
टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करना	03 दिन

(साभार : हिन्दुस्तान 8.7.2012)

700 निजी अस्पतालों पर तलवार

बीमा योजना में सूचीबद्ध अस्पताल मानक पर खरे नहीं उतरे तो रद्द होगा निबंधन : नीतीश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजन के मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले निजी अस्पतालों का निबंधन रद्द होगा। इसके लिए जिलाधिकारी और सिविल सर्जन व्यक्तिगत रूप से अभियान चलाकर बीमा योजना में निर्बंधित निजी अस्तालीं में सुविधाओं की जांच करेंगे।

श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित इस योजना की समीक्षा करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तक को राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। उन्होंने संगठित क्षेत्र को छोड़कर राज्य के सभी परिवारों को इस योजन में शामिल करने की नीति तैयार करने को कहा है।

(विस्तार : हिन्दुस्तान 8.7.2012)

इलेक्ट्रानिक रिटर्न पफाइल को डिजिटल हस्ताक्षर जरूरी नहीं

बदलाव किए जाने से जटिल बना रिटर्न फॉर्म

सरकार पिछले कई सालों से आयकर रिटर्न फॉर्म को आसान बनाने का प्रयास करती रही है। इस बार भी रिर्टन फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। लेकिन पारदर्शिता लाने और अधिक से अधिक सूचनाएं जुटाने के मकसद से किये गये बदलाव की वजह से यह फॉर्म अब थोड़े जटिल हो गए हैं। आइये जानें कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।

अन्य बदलाव

सेक्शन 80 जी
पिछले साल तक सेक्शन 80जी के तहत छूट के लिए दान की गई रकम का कुल ब्योरा ही देना होता था लेकिन अब सरकार इसमें हर तरह की जानकारी चाहती है। अब दान की रकम के साथ जिस संस्था को दान किया है, उसका नाम, पता और पैन नंबर देना भी जरूरी हो गया है।

शेड्यूल टीआर
यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जो ज्यादातर देश से बाहर रहते हैं और संबंधित देश में टैक्स जमा करने की वजह से भारत में टैक्स छूट चाहते हैं। नये बदलाव के तहत अब चुकाए गए टैक्स के अलावा आपको उस देश का कोड और टैक्स आईडेंटिफिकेशन नंबर का उल्लेख भी करना होगा।

ई – पफाइलिंग जरूरी

नये नियम के तहत व्यक्तिगत या अविभाजित हिंदू परिवार जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उनके लिए ई-फाइलिंग जरूरी कर दी गई है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in पर सीधे भी रिटर्न भर सकते हैं या फिर किसी पोर्टल की मदद से भी ई-फाइलिंग कर सकते हैं। ई-फाइलिंग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। आप आसानी से ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और आईटीआर-5 फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे सीधे सेंट्रलाइज प्रॉसेसिंग यूनिट यानी सीपीसी बंगलुरु के पते पर भेजे सकते हैं। आईटी आर-5 एक पेज का फॉर्म होता है जिसमें आपके ई-फाइलिंग से जुड़ी सूचनाएं होती हैं। यह फॉर्म ऑनलाइन रिटर्न भरने के 120 दिनों के भीतर सीपीसी में पहुंच जाना चाहिए।

विदेशी धन का खुलासा

अब आपको विदेश में जमा धन का खुलासा करना होगा। इसके तहत विदेशी बैंक में आपका खाता है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आपकी विदेश में किसी भी तरह की संपत्ति है तो उसका भी ब्योरा देना होगा। कालाधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जो बदलाव आयकर रिटर्न नियम में किया है उससे सबसे अधिक प्रवासी प्रभावित होंगे। इसके तहत प्रवासियों को विदेश स्थित सभी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। यदि आप वित्तीय वर्ष 2011-12 में 182 दिन से अधिक या पिछले तीन साल में 730 दिन से अधिक दिन भारत में रहे हैं तो यहां के निवासी समझे जाएंगे। आपने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अपना विदेश में बैंक अकाउंट बंद कराया है तो उसकी जानकारी देनी होगी।

नये नियम के मुताबिक आपको किसी मकान से आय होती है तो उसके मालिकाना हक की जानकारी देनी होगी। साथ ही जितने लोग साझीदार हैं उनके नाम और पैन नंबर का भी उल्लेख करना होगा। (साभार : हिन्दुस्तान 7.7.2012)

होल्डिंग टैक्स को ले गंभीर हुआ नगर निगम

रिहाइशी इलाके के अपार्टमेंट या भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वालों के खिलाफ पटना नगर निगम ने कमर कस ली है। ऐसा होल्डिंग टैक्स में निगम को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त पंकज पाल ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा निगम किसी को डराना नहीं चाहता है, ना ही वह ऐसी किसी गतिविधि को बंद कराने के पक्ष में है। लेकिन, रिहाइशी इलाके के अपार्टमेंट व भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों को अब कामर्शियल होल्डिंग टैक्स देना होगा। ऐसे होल्डिंग का सर्वे कराया जा रहा है। जल्द ही उनके मालिकों को नोटिश जारी किया जायेगा। जिसके बाद उनके होल्डिंग टैक्स में संशोधन किया जायेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 2.7.2012)

विज्ञापन एजेंसियों से नयी दर की वसूली

नयी दर पर विज्ञापन होर्डिंग की रॉयल्टी जुर्माने की राशि वसूले जाने के नगर निगम के निर्णय के विरोध में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाइकोर्ट ने कहा कि जुर्माना वसूलने का प्रावधान निगम एक्ट में नहीं है, लेकिन विज्ञापन एजेंसियों से नयी दर पर निगम रॉयल्टी ले सकता है। मालूम हो कि निगम प्रशासन ने दो माह पहले विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस भेजा था, जिसमें नयी दर पर विज्ञापन होर्डिंग की रॉयल्टी जुर्माने की राशि के साथ शीघ्र जमा करने का आदेश दिया गया था। इसको लेकर 10 दिनों का समय दिया गया। समय सीमा में रॉयल्टी नहीं देने पर विज्ञापन होर्डिंग को अवैध घोषित करते हुए हटाने की बात कही गयी थी, लेकिन विज्ञापन एजेंसियों ने रॉयल्टी की राशि जमा नहीं की। इस पर निगम प्रशासन ने अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए अभियान चला दिया। इसके बाद सभी विज्ञापन एजेंसियों ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया।

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने निगम प्रशासन को निर्देश दिया कि जुर्माना वसूलने का प्रावधान निगम एक्ट में नहीं है, लेकिन विज्ञान एजेंसियों से नयी दर पर रॉयल्टी ले सकते हैं।

अब हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में निगम प्रशासन सभी विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू करनेवाला है। संभावना है कि अगले सप्ताह में विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस भेज दिया जायेगा। इतना ही नहीं नयी विज्ञापन दर पर रॉयल्टी नहीं देनेवाली विज्ञापन एजेंसियों का निबंधन रद्द होने के साथ-साथ विज्ञापन होर्डिंग हटाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। गौरतलब है कि विज्ञापन एजेंसियां वर्ष 2005 में तय दर के अनुरूप एक रुपये वर्ग फूट रॉयल्टी निगम में प्रतिवर्ष जमा कर रही थी। हालांकि वर्ष 2007 में विज्ञापन होर्डिंग की नयी दर तय की गयी थी, इसके बावजूद विज्ञान एजेंसियां अब तक पुरानी दर पर ही रॉयल्टी जमा कर रही थी।

2007 में तय विज्ञापन दर

विज्ञापन का प्रकार	सरकारी या निगम भूखंड	निजी या गैर सरकार भूखंड
नियोनग्लो, एलइडी, फ्रंट लीट	80रु प्रति वर्गफुट वार्षिक	12 रु प्रति वर्गफुट वार्षिक
बैंक लीट, ग्लो साइन	80रु प्रति वर्गफुट वार्षिक	12 रु प्रति वर्गफुट वार्षिक
साधारण विज्ञापन	70रु प्रति वर्गफुट वार्षिक	10 रु प्रति वर्गफुट वार्षिक
यूनिपोल	7500 प्रति पीस वार्षिक	10 रु प्रति वर्गफुट वार्षिक
ट्रैफिक ट्रॉली	30रु प्रति वर्गफुट वार्षिक	10 रु प्रति वर्गफुट वार्षिक
चलंत वाहनों पर प्रचार	50रु प्रति वर्गफुट वार्षिक	10 रु प्रति वर्गफुट वार्षिक
बैनर	70रु प्रति वर्गफुट वार्षिक	10 रु प्रति वर्गफुट वार्षिक
तोरण द्वार	1000 प्रति पीस (तीन दिनों के लिए)	10 रु प्रति वर्गफुट वार्षिक
मेला, सर्कस व प्रदर्शनी	25 रु प्रति वर्गफुट (एक माह)	5 रु प्रति वर्गफुट (एक माह)

(साभार : प्रभात खबर, 4.7.2012)

चीनी मिलों की नीलामी फिर होगी शुरू

बिहार में अब जल्दरी ही सरकार चीनी मिलों की नीलामी का पांचवा चरण शुरू होने वाला है। दरअसल, राज्य के उद्योग विभाग ने राज्य सरकार से इस बाबत मंजूरी मांगी है, जिसके मिलते ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस चरण में विभाग ने राज्य सरकार 7 बंद पड़ी चीनी मिलों को बेचने की योजना बनाई है।

बिहार के चीनी मिलों की तरफ निवेशकों को रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए राज्य सरकार ने अपनी बंद पड़ी चीनी मिलों की नीलामी को जारी रखने का फैसला लिया है। उद्योग विभाग ने नीलामी के पांचवे चरण को राज्य के कैबिनेट विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्दी ही वहां से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद हम इन मिलों की नीलामी की प्रक्रिया का शुरु करेंगे।' सूत्रों के मुताबिक यह प्रक्रिया जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी।

इस वक्त राज्य सरकार के पास 7 बंद पड़ी हुई चीनी मिलें हैं। 2008 में पहले चरण में राज्य सरकार अपनी दो मिलों को बेचने में कामयाब रही थी, जिन्हें हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लि. (एचपीसीएल) ने खरीदा था। बीते साल लौरिया ओर सुगौली में स्थित इन मिलों से उत्पादन भी शुरू हो गया है वहीं 2010 में राज्य सरकार को मोतीपुर चीनी लि को भी सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी इंडियन पोटैश लि० ने खरीदा है। कम्पनी इस वक्त मोतीपुर चीनी मिल का नवीकरण कर रही है।

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 30.6.2012)

राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली दें निजी कंपनियां

देश में बिजली की बढ़ती दिक्कत को देखत हुए कोयला मंत्रालय ने निजी बिजली कंपनियों के खिलाफ कठोर रवैया अख्तियार कर लिया है। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने निजी बिजली कंपनियों (आइपीपी) को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति राज्य वितरण इकाइयों को नहीं की तो उनको दिए गए कोयला ब्लॉक निरस्त भी किए जा सकते हैं। हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि आइपीपी राज्य बिजली निगमों को बिजली देने के बजाय ज्यादा कीमत हासिल करने के लिए पावर एक्सचेंज में बिजली बेच रहे हैं।

दरअसल, बिजली मंत्रालय पिछले कुछ दिनों से यह शिकायत कर रहा था कि काफी सस्ती दर पर कोयला ब्लॉक हासिल करने के बाद भी कुछ स्वतंत्र बिजली उत्पादक यानी आइपीपी राज्यों को बिजली नहीं बेच रहे। राज्य की बिजली वितरण कंपनियां जब बिजली खरीदने के लिए निविदाएं मांगवाती हैं तो आइपीपी अपने तरीके से इसमें हिस्सा लेते हैं। वे जानबूझ कर ज्यादा कीमत पर बिजली बेचने का प्रस्ताव करते है। चूंकि राज्य की बिजली इकाइयां सबसे सस्ती दर पर बिजली खरीदती है। इसलिए आइपीपी के प्रस्ताव खारिज हो जाते हैं। दूसरी तरफ आइपीपी इस बिजली को पावर एक्सचेंज में उंची दरों पर बेचते है। मौजूदा किल्लत को देखते हुए पावर एक्सचेंज में बिजली की कीमत 12 रुपये प्रति यूनिट तक जा चुका है। इस तरह से सस्ते कोयले से पैदा बिजली का फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता। बिजली मंत्रालय की शिकायतों को ध्यान में रखकर ही कोयला मंत्री ने पूरी स्थिति की समीक्षा करवाई तो इसमें काफी सच्चाई पाई गई। कोयला मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसी एक दर्जन निजी बिजली कंपनियों के नाम सामने आए है, जिन्होंने राज्यों को बिजली नहीं बेची, जबकि कुछ ही दिनों बाद पावर एक्सचेंज में बिजली बेची। यही वजह है कि आइपीपी को कहा गया है कि उन्हें राज्यों की बिजली खरीद निविदा में अवश्य हिस्सा लेना होगा। साथ ही सरकार की नजर उनके निविदा में भाग लेने के तौर-तरीके पर भी होगी। निजी बिजली उत्पादकों के रवैये से देश को दोहरा घाटा हो रहा है। एक तरफ देश के कई राज्यों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राज्यों को ज्यादा कीमत पर पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब सहित कई राज्यों में सिर्फ इसलिए बिजली कटौती हो रही है, क्योंकि यहां की बिजली वितरण कंपनियां पावर एक्सचेंज से महंगी दर पर बिजली खरीदने को तैयार नहीं हैं। (साभार: दैनिक जागरण, 6.7.2012)

बैकडेट से दाखिल नहीं होगा आयकर रिटर्न

बैकडेट से अब आयकर रिटर्न दाखिल नहीं हो पाएगा। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने में मुहर मैनुअल सिस्टम को समाप्त कर दिया है। अब रिटर्न दाखिल करने में कम्प्यूटराइज सिस्टम लागू किया गया है। पहले आयकर रिटर्न जमा करते वक्त आयकर दाताओं को मुहर लगी रिसिविंग दी जाती थी। इस रिसिविंग सिस्टम में कई खामियां थी।

आयकरदाता विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से बैकडेट में भी रिटर्न फाइल कर देते थे। खासकर बैंक लोन लेने वक्त ऐसा करने की शिकायतें ज्यादा मिल रही थी। अब रिटर्न फाइल करते वक्त मुहर लगी रिसिविंग की जगह कम्प्यूटराइज रिसिविंग दी जाएगी, ताकि बाद में कोई गड़बड़ी नहीं हो सके।

रिटर्न व रिसिविंग पेपर पर दो अलग-अलग स्टीकर लगे होंगे, जिस पर आयकरदाता का विस्तृत ब्यौरा दर्ज होगा। भविष्य में विभाग आयकरदाता से उसी ब्योरे के आधार पर पत्राचार करेगा। वित्तीय वर्ष 2011-12 व निर्धारण वर्ष 2012-13 की व्यक्तिगत आयकर विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। इसके लिए आयकर विभाग ने विशेष तैयारी की है, ताकि रिटर्न फाइल करने में आयकरदाताओं को कोई परेशानी न हो। इसके लिए आयकर सेवा केन्द्र के अलावा विशेष काउंटर भी खोले जाएंगे।

आयकरदाताओं की शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष सेल गठित की गई है। आयकर विभाग 15 दिनों के अंदर शिकायतों का निपटारा करेगा। कोई भी करदाता जिसकी असेस्मेंट करने के बाद भी टैक्स रिफंड नहीं हुआ या जिन करदाताओं के अपीलीय आदेश का पालन नहीं हुआ है, वे सेल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिनकी आय की गणना कर ली गई है, लेकिन वह गणना सही नहीं है या ब्याज अधिक लग रहा है तो वे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर्च के दौरान जब्त की गई संपत्ति को लौटाया नहीं गया है तो वे भी सेल का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान 28.6.2012)

सात वर्षों में 195 फीसदी बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

बिहार की अर्थव्यवस्था में लगातार आ रही तेजी की बदौलत सात वर्षों के भीतर राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 195 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2005-06 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 8353 रुपये थी जो वर्तमान दर पर 2011-12 में बढ़कर 24,681 रुपये हो गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान जीएसडीपी के स्थिर मूल्यों पर राज्य की विकास दर 12.08 प्रतिशत दर्ज की गई। योजना काल में 76,482 करोड़ रुपये की तुलना में 76,083 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

योजना आयोग के साथ दिल्ली में हुई बैठक में बिहार की अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेतकों पर चर्चा हुई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोटक सिंह अहलूवालिया ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। आयोग ने भी माना कि वित्तीय प्रबन्धन में बड़े पैमाने पर सुधार से ही वित्तीय संसाधन को सफलतापूर्वक बढ़ाना संभव हो सका है।

हाल के दिनों में बिहार में उपज की रिकॉर्ड बढ़ोतरी का हवाला देकर सरकार ने कृषि रोड मैप पर वर्ष 2012-17 के बीच 1,50,600 करोड़ रुपये खर्च करने का मुद्दा उठाया। योजना आयोग को बताया गया कि राज्य सरकार ने इन्द्रधनुषी क्रांति (कृषि, बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य, मुर्गी पालन और पशुपालन) के लिए समेकित विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट का गठन किया गया है। जिसके द्वारा रोड मैप तैयार करने में मार्गदर्शन दिया गया है। (साभार : हिन्दुस्तान, 28.6.2012)

महंगा पड़ेगा घर बनाने के लिए सामान मंगवाना

अगर आप अपने घर को बनवाने या किसी अन्य काम के लिए दूसरे राज्यों से सामान मंगवाने की सोच रहे हैं तो अब पॉकेट कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार अब किसी प्रकार का सामान, जिसको बिक्री नहीं करना है, उसपर भी इंट्री टैक्स लगाने की व्यवस्था कर दी है। बशर्ते वह वस्तु टैक्स के दायरे में आता हो।

इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने 'सुविधा' साफ्टवेयर लांच की है। सामान को मंगवाने के लिए जो लोग इस साफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको उसपर लगने वाले इंट्री टैक्स के अलावा तीन गुना पेनॉल्टी भी देनी होगी। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोई भी सरकारी उपक्रम, संस्थान अथवा व्यक्ति अगर किसी तरह का सामान बाहर से मंगाता है तो उन्हें विभाग से सी टैन (कमर्शियल टैक्स एक्सेस नम्बर) विभागीय वेबसाइट से प्राप्त करना होगा। हालांकि राज्य सरकार ने यह व्यवस्था अनिबंधित व्यापारियों को कर के दायरे में लाने के लिए लागू की है।

मिलेगा रोड परमिट

• वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर जाएं www.biharcommercialtax.gov.in • वेबसाइट खुलने के बाद 'सुविधा' पर क्लिक करें • सुविधा पेज पर बायीं तरफ सी टैन एवं टी टैन का लिंक मिलेगा • सी टैन खुलने के बाद संबंधित जानकारी भरें • एक्सेस नम्बर प्राप्त होगा • वापस 'सुविधा' के आईकॉन से जाकर माल परिवहन के लिए सुविधा नम्बर प्राप्त कर माल का परिवहन करें • हेल्पलाइन नंबर : 18003456102. (साभार : हिन्दुस्तान 8.7.2012)

वाहन डीलर को एमवीआई का अधिकार नहीं

वाहन डीलर को अब एमवीआई (मोटरयान निरीक्षक) का अधिकार नहीं रहेगा। वाहन डिलर वाहन के इंजन चेचिस का सत्यापन नहीं करेंगे। यानी फार्म 20 को सत्यापित करने का काम फिर से एमवीआई के जिम्मे आ गया है।

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इस नियम को लागू किया है। परिवहन विभाग ने एमवीआई की कमी को देखते हुए वाहन डीलरों को एमवीआई का अधिकार दे दिया था। दरअसल पहले एमवीआई ही इंजन चेचिस के नंबर का सत्यापन करते थे, लेकिन बिहार में अभी एमवीआई की भारी कमी थी। इसलिए परिवहन विभाग ने पिछले साल निर्णय लिया था कि इंजन व चेचिस के सत्यापन का कार्यभार डीलर को ही दे दिया जाए। विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को आदेश भी निर्गत किया था। इसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट में गया और कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला दिया कि वाहन डीलर को एमबीआई का अधिकार देना मोटर वाहन अधिनियम के विरुद्ध है। इसलिए वाहन के इंजन व चेचिस नंबर का सत्यापन एमवीआई ही करेंगे। वाहन डीलर वाहन का रजिस्ट्रेशन कर सिर्फ फार्म को जिला परिवहन कार्यालय में जमा करेंगे।

दूसरी तरफ परिवहन विभाग डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन पर भी शिकंजा कसेगा। सभी डीटीओ को डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। यह हिदायत भी दी गई है कि वे परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही वाहन मालिकों से वसूलें। हर माह जिलावार डीलर प्वांइट रजिस्ट्रेशन की समीक्षा होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान 4.7.2012)

एटीएम शिकायत सात दिन में निपटाएं बैंक

नियमों का पालन न करने पर देना होगा हर्जाना

एटीएम से नगदी निकालते समय गड़बड़ी के मामले में रिजर्व बैंक ने बैंको को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि शिकायत मिलने के सात दिन के भीतर ग्राहक की समस्या का समाधान करें अन्यथा बैंकों को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति देनी होगी।

रिजर्व बैंक ने ग्राहक सेवा पर सभी वाणिज्यिक बैंकों को जारी मास्टर सकुर्लर में कहा है कि एटीएम से पैसा निकालते समय हुई गड़बड़ी ठीक करने की समय सीमा शिकायत मिलने के 12 कार्य दिवसों से घटाकर सात कार्य दिवस कर दी गई है। जारीकर्ता बैंक को शिकायत मिलने के सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा। ऐसा नहीं होने पर कार्ड जारीकर्ता बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से ग्राहक को 100 रुपए की क्षतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ग्राहक एटीएम गड़बड़ी के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार तभी होगा जब उसने लेनदेन के 30 दिन के भीतर जारीकर्ता बैंक के पास शिकायत दर्ज करा दी हो। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि उसे इस तरह की कई शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें एटीएम से पैसा निकालते समय ग्राहक के खाते से पैसा तो निकल जाता है लेकिन मशीन से वास्तव में उसे नकदी प्राप्त नहीं होती।

इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि शिकायत मिलने पर बैंक इस तरह के मामले को सुलझाने में काफी समय लगा देते हैं। कई बार ऐसे मामलों में 50 दिन तक का समय ले लिया गया। रिजर्व बैंक का कहना है कि ऐसे में ग्राहक को उसकी कोई गलती नहीं होने पर भी लंबे समय तक बिना नकदी के रहना पड़ता है। इससे एटीएम से ग्राहकों का मोहभंग हो सकता है। बैंकिंग नियामक ने कहा है कि इस तरह के लेनदेन के मामले एटीएम सिस्टम उपलब्ध कराने वाली पार्टी के साथ मिलकर जारीकर्ता बैंक और प्राप्ति वाले बैंक के बीच निपटाए जाने चाहिए।

(साभार : हिन्दुस्तान 4.7.2012)

स्टेट बैंक ने बचत खाते पर न्यूनतम राशि की शर्तें समाप्त की

नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खातों पर न्यूनतम अधिशेष राशि की शर्तें समाप्त कर दी है। इसके बाद अब न्यूनतम सीमा से कम राशि रखने पर ग्राहक को कोई जुर्माना नहीं लगेगा। वर्तमान में स्टेट बैंक के चेक बुक सुविधा वाले बचत खाते में कम से कम 1,000 रुपए की राशि खाते में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर जुर्माना लगता है।

स्टेट बैंक ने अखबारों को जारी एक विज्ञापन में कहा है कि नई सुविधा मौजूदा ग्राहकों को भी उपलब्ध होगी। मार्च 2012 को स्टेट बैंक के पास 15.39 करोड़ बचत बैंक खाते थे। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 2.19 करोड़ खाते खोले। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में महानगरों में बचत खाते में न्यूनतम 10,000 रुपए बकाया रखने का नियम है। इस बीच एसबीआई ने विदेशों से वाणिज्य कर्ज के जरिए दो अरब डालर जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए उसने सिटीग्रुप और यूबीएस सहित छह निवेश बैंकों से अनुबंध किया है।

(साभार : हिन्दुस्तान 4.7.2012)

नगर निगम ने जारी किया हेल्प लाइन नंबर

नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल ने बताया कि शहरवासियों को जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिये कंट्रोल रूप की स्थापना की गयी है। इस कंट्रोल रूम में चार हेल्प लाइन नंबर जारी किये गये हैं। शहरवासी नाला उड़ाही व जलजमाव शिकायत को **2911135, 2200634, 3261372** और **3261373** पर कॉल कर दर्ज करा सकते हैं। यह कंट्रोल रूम **24** घंटे सुचारू रहेगा। (साभार : आज, 29.6.2012)

PT. GPO/R-10/NP-15/2011-2012 R.N. 4211/62

पहले अनुमति जरूरी नहीं

पासपोर्ट कार्यालय में नई व्यवस्था लागू

विशेष परिस्थिति में आवेदकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पूर्व अप्वायंटमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। इससे संबंधित नई व्यवस्था क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 21 जून से लागू कर दी गई है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि चिह्नित परिस्थितियों में पासपोर्ट सबंधी सेवाओं के लिए आवेदन बिना पूर्व अप्वायंटमेंट के भी स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उल्लेखित श्रेणियों को छोड़कर बाकी किसी आवेदक को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। अप्वाईटमेंट लेने में कोई समस्या आने पर आवेदक एआरएन रजिस्ट्रेशन की रसीद एवं आयात स्थिति के दस्तावेजी प्रमाण के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर एक बजे तक श्रेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आमतौर पर सभी आवेदकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए एक दिन पूर्व वेबसाईट www.passportindia.govt.in पर आवेदन रजिस्टर्ड कर वैद्य 'एआरएन' संख्या लेनी होती है।

इन्हें मिलेगी छूट

• पीसीसी के लिए आवेदन करने वाले • पासपोर्ट में बिना किसी विवरणी परिवर्तन के 'ईसीएनआर के लिए आवेदन करने वाले • सरकारी सेवक, पीएसयू कर्मचारी, उनकी पत्नी, उनके अवयस्क एवं आश्रित बच्चे (जिन्हें एनओसी/आइडेंटिटी सर्टिफिकेट (एनेक्स बी) देना है • अवयस्क बच्चे, जिनके माता या पिता (जिनमें पति-पत्नी का नाम दर्ज हो) में से कोई एक वैध पासपोर्ट धारक हो • विकलांग व्यक्ति (जिनमें अंधे-गूंगे-बहरे शामिल हैं) के आवेदन • वरिष्ठ नागरिक (जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है), जो अपने पासपोर्ट का नवीनकरण कराना चाहते हैं • अतिरिक्त पुस्तिका के लिए आवेदन, जिसमें विवरणों में कोई परिवर्तन नहीं करना हो। (सिर्फ पन्ने खत्म होने की स्थिति में) • पूर्वानुमति के साथ पासपोर्ट सेवा केन्द्र में गए वैसे आवेदक जिन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज लाने को कहा गया हो। वैसे आवेदक उसी पूर्व नियत समयावधि में अगले तीन कार्य दिवसों तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं • पत्नी या पति का नाम जुड़वाने के लिए दिया जाने वाले आवेदन।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 26.6.2012)

भुगतान के बाद करें क्रेडिट कार्ड की शिकायत

बैंकिंग लोकपाल का सुझाव है कि क्रेडिट कार्ड मामले में कोई भी विवाद होने की स्थिति में बेहतर यही होता है कि उपभोक्ता पहले बिल का भुगतान कर उसके बाद ही शिकायत दर्ज कराएं अन्यथा उसे अधिक भुगतान का जोखिम रहता है।

बैंकिंग सेवाओं पर निगरानी और ग्राहकों की शिकायतें देखने वाली इस स्वायत्त संस्था का कहना है कि क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को आए दिन होने वाली परेशानी से बचाने के लिए ग्राहकों को कार्ड की सेवा शर्तों को अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। बैंकिंग लोकपाल एम. राजेश्वर राव ने कहा, क्रेडिट कार्ड मामले में कोई भी विवाद होने पर बेहतर यही होता है कि उपभोक्ता पहले बिल का भुगतान कर, उसके बाद ही शिकायत दर्ज कराएं। कारण है कि कई शिकायत के निपटारे में काफी समय लग जाता है और यदि पहले भुगतान नहीं किया गया होता है तो ग्राहक को बीच की अवधि के लिए ऊंची ब्याज दर पर अधिक भुगतान करना पड़ जाता है।

राव ने कहा, 'सबसे पहले उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड लेते समय उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार बैंक मुख्य शर्तों को मोटे अक्षरों में लिखते हैं। 'राव ने कहा कि क्रेडिट कार्ड के बिलिंग चक्र को समझने की भी जरूरत है। क्रेडिट कार्ड कारोबार पर रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। वाणिज्यिक बैंक इन पर 3.5 फीसद की मासिक दर की ऊंची दर पर ब्याज वसूलते हैं, ऐसे में ग्राहकों के जागरूक नहीं होने की स्थिति में उन्हें ब्याजह के रूप में ऊंची रकम चुकानी पड़ जाती है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 4.7.2012)

नकली नोट पहचानना हुआ आसान

आम लोगों के बीच नकली नोटों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें उसने नकली नोटों का शिनाख्त करने के तरीकों का उल्लेख किया है।

आरबीआई ने www.paisaboltahai.rbi.org.in में 10 रुपये, बीस, पचास, सौ, पांच सौ और 1,000 रुपये के नोटों की पहचान करने के सूत्र दिए हैं। उपभोक्ता चाहें तो इन नोटों के पोस्टर डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल नकली नोटों की पहचान करन में संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। इस वेबसाइट के लिये लिंक रिजर्व बैंक की मुख्य वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पिछले काफी समय से देश में नकली नोटों की धरपकड़ की जा रही है।

बैंक शाखाओं का डाटाबेस हुआ तैयार

ग्राहक अब देशभर में बैंक शाखाओं पर सूचना मिनटों में हासिल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने स्थान, कोड ओर लाइसेंस विवरण पर सूचना देने के लिए एक डाटाबेस पेश किया है। हाल ही में लांच किया गया बैंक ब्रांच लोकेटर एक गतिशील डाटाबेस है जो विदेशी, निजी बैंक की शाखाओं के विवरण उपलब्ध करा सकता है। इन विवरणों में स्थान, आबादी समूह, अधिकृत डीलर वर्ग और लाइसेंस विवरण शामिल हैं।

(विस्तार : हिन्दुस्तान 9.7.2012)

निम्नलिखित की विस्तृत जानकारी हेतु चैम्बर से संपर्क करें –

(1) टैक्स डिमाण्ड : स्टे कैसे लें ?
(2) कर नियोजन हेतु प्रोपराइटरशिप व साझेदारी फर्मों का कम्पनी में परिवर्त्तन
(3) पार्टनरशिप फर्म का कम्पनी में परिवर्त्तन कैसे करें ?
(4) प्रोजेक्ट रिपोर्ट : नरम स्टील की सिल्लियाँ **(M.S. Ingots)**
(5) बजट क्या-क्या परिवर्त्तन लाया ?

(साभार : टैक्स पत्रिका जून 2012)

ऑनलाईन लेन-देन शुल्क एक फीसदी

डेबिट कार्ड से लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआइ का प्रयास

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय बैंक ने कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड से ऑनलाईन पेमेंट पर लेन देन शुल्क को अब एक प्रतिशत कर दिया है। इससे पूर्व उपभोक्ताओं और कारोबारियों को इससे दोगुनी राशि का भुगतान ट्रांजेक्शन फीस के रूप में करना पड़ता था।

(विस्तार : प्रभात खबर, 5.7.2012)

PATLIPUTRA AIR CHARTER

Patliputra Air Charter are engaged in the business of air charter (Passenger & Air Ambulance). With a fleet of Luzurious jets, Turboprops & Helicopters, they are catering to the requirements of VVIP's, Corporate Houses, Travel Agents, Tour Operators, Hospitals & Personal Medical Evacuations and also cater to Election Campaigning for various political parties.

Fot Details please contact:

MR. HANS KUMAR
Patliputra Air Charter
8/159, Mehram Nagar, Opp. Domestic Terminal-1D,
IGI Airport Palam, New Delhi - 110037, India
Mob. : +91-9891646533 / 9473460633
Email : info@patliputraaircharter.com/hans_kr@yahoo.com

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों की सेवा में वित्तीय वर्ष **2012-13** के सदस्यता शुल्क हेतु विपत्र चैम्बर कार्यालय से निर्गत किया जा चुका है। काफी सदस्यों ने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया है। जिन सदस्यों ने अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेजा है उनसे विनम्र निवेदन है कि यथाशीघ्र सदस्यता शुल्क भेजकर अनुग्रहित

EDITORIAL BOARD

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635, Fax No. : 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296